

प्रेषिका,

इशिका सिंह,

अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यू कोर्ट द्वितीय,

जौनपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा—

माननीय जनपद न्यायाधीश

जौनपुर।

विषय—

एल0एल0एम0(पत्राचार) में एडमिशन से संबंधित माननीय महोदय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान सूचित करना है कि मेरे द्वारा प्रार्थनापत्र सं0 1040, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एल.एल.एम. (पत्राचार) पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के बावत् आपके समक्ष दिया गया। जिसके संबंध में माननीय महोदय द्वारा कुछ प्रश्नों पर स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके संबंध में आपके समक्ष निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है कि—

1. वांछित पाठ्यक्रम एक पत्राचार पाठ्यक्रम है, जिसमें कोई भी नियमित कक्षाएं संचालित नहीं करायी जायेंगी एवं न ही उपस्थिति आवश्यक है।
2. चूंकि पाठ्यक्रम पत्राचार स्वरूप का है, अतः मुझे किसी भी प्रकार के अध्ययन अवकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना अध्ययन स्व-अध्ययन(self study) के आधार पर ही पूर्ण करूंगी।

मैं इशिका सिंह, अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यू कोर्ट द्वितीय, जौनपुर, यह उद्घोषणा करती हूं कि उपरोक्त बिन्दुवत् आधार 1 व 2 मेरे द्वारा अक्षरशः पालन किया जाएगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को आधार बनाते हुए माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि मुझे वांछित पाठ्यक्रम में एडमिशन हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नक—

प्रॉस्पेक्टस (विवरण पुस्तिका) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

दिनांक—23.09.2020

भवदीया,

Isika Singh 23/09/2020
(इशिका सिंह)

अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यू कोर्ट
द्वितीय, जौनपुर,